भीलवाड़ा जिले में सखी अभियान अन्तर्गत महिला लाभान्वितों की सामाजिक–आर्थिक संरचना

*डॉ. समय सिंह मीणा
*ज्योति खटीक

शोध सारांश

सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, गुणों और सामाजिक शक्तियों के बीच व्यक्ति के अस्तित्व का अध्ययन है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सामाजिक अस्तित्व मूल रूप से उनके व्यक्तिगत विकास, विचार धाराओं तथा मूल्यों को निर्धारित करता है। सामाजिक पृष्ठभूमि का महत्व इस सन्दर्भ में भी महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय स्थान रखता है कि जीवन में व्यक्ति जहॉ विशाल सामूहिक जीवन के मध्य रहता है, अन्तक्रियायें करता है। वहॉ यह स्थिति या एक जैसा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध हों। किसी भी सामाजिक प्रणाली में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों से समान बातें आपेक्षित नहीं होती है। यह व्यक्ति के सामाजिक पद एवं स्थिति पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन–सा मापक पद लागू होता है। प्रत्येक पद एवं स्थिति की निश्चित प्रति ठा होती है। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह की सामाजिक स्थिति तथा पद, विभिन्न समाजों में वर्ग एवं जाति पर अवलम्बित रहते हैं। सामाजिक जीवन में सामाजिक स्थिति की प्रकार्यात्मक भूमिका होती है। प्रायः व्यक्ति की उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने से व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में परिवर्तन होने की सम्भावना बढ़ जाती है। शिक्षित स्त्रियों के सन्दर्भ में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी मनोवृत्तियों, महत्वाकांक्षाओं जीवन में प्रगति की दिशाओं के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध पत्र में भीलवाड़ा जिले में सखी अभियान के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन केया गया है। शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों की सहायता ली गई है, जिसमें साधारण विधि से आंकड़ों का निरूपण किया गया है।

संकेतांक : *सामाजिक, आर्थिक, शक्तियां, विकास, विचारधारा, अन्तक्रिया, समाज, जाति, प्रकार्यात्मक, महत्वकांक्षा।*

परिचय :

भारतीय सामाजिक संरचना और उसके सामाजिक मूल्यों में आज भी किसी न किसी प्रकार की निरन्तरता दिखायी देती हैं जबकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियायें जैसे नगरीकरण, औद्योगीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण के द्वारा सामाजिक परिस्थिति के निर्धारक भी प्रभावित हो रहें हैं। परिणामतः ग्रामीण समाज में स्त्रियों की प्रस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है।

भारतीय सामाजिक संरचना में व्यक्ति की स्थितियों के निर्धारकों की प्रकृति सामाजिक होती है। और इसमें मानव शक्ति को पृथक कर सामाजिक शक्तियों को स्थापित किया गया है, परिणामतः कुछ स्थितियों के साथ स्व और समाज के बीच द्वन्द्वात्मक परिस्थितियों की स्थापना हो गयी जबकि इतिहास साक्षी है कि समाज को इन दूषित नियमों से ग्रस्त मानव ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। साम्प्रत समाज में स्थितियॉं उलट रूप में प्रस्तुत होती है। एक लम्बी प्रक्रिया के बाद गुणों एवं अवगुणों के मापक में परिवर्तन हुआ है। अर्जित के बाद ही प्रदत्त को महत्व प्रदान किया जाता है।

परम्परागत सामाजिक शक्तियों में शिथिलता आयी है। जबकी अतीत को अतीत समझकर उसे अस्वीकार कर देने से उसके अस्तित्व को मिटाना सम्भव नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अतीत के बल पर समाज को एक निश्चित दिशा प्रदान किया गया है। सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि में मानव जीवन की एक सम्पूर्ण रूपरेखा निर्मित होती है। तथापि इसके अध्ययन से व्यक्ति के अतीत की स्थितियों के साथ वर्तमान का भी पता चलता है। सामाजिक शक्ति में परिवर्तन होने के बाद इसके अध्ययन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कई ऐसे कानून बनाये गये जो महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति को बेहतर बनाने में समृद्ध थे और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और भेदभाव को समाप्त करने वाले थे। स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन से न केवल नगरीय स्त्रियाँ अपितु कमोवेश रूप में ग्रामीण समाज में भी परिवर्तन देखने को मिलते है। अब वे पर्दे में सिमटी हुई अपने आपको घर के चहारदिवारी में बन्द नहीं रखतीं। आधुनिक शिक्षित ग्रामीण स्त्रियों में परम्परागत जातीय नियमों के प्रति भी उदासीनता पायी जाती है। रूढ़िवादी बन्धनों से पृथक ग्रामीण महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर होने के साथ–साथ स्त्रियॉ आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी निभा रही है।

अतः प्रस्तुत विवरणों के आलोक में अध्ययन के अन्तर्गत उत्तरदात्रियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है।

जनसंख्या वितरण

जनसंख्या वितरण किसी क्षेत्र कि जनांकिकीय विशेषताओं के अध्ययन का आधार होता है, जनसंख्या का वितरण क्षेत्रीय प्रारूप की और इशारा करता है जनसंख्या वितरण से आशय विभिन्न क्षेत्रों में लोग कितनी संख्या में निवास करते है, से है। भीलवाड़ा जिले में सखी अभियान के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं के परिक्षेत्र में जनसंख्या का वितरण असमान है यहाँ कही पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा कही पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या संरचना को सारणी संख्या 1 में दर्शाया गया है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या 2013789 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 2408513 हो गई।

भीलवाड़ा परिक्षेत्र में वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या 2013789 थी जिसमें 1026650 पुरूष तथा 987139 महिलायें थी। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना में यहाँ जनसंख्या बढ़कर 2408523 व्यक्ति हो गई जिसमें 1220736 पुरूष तथा 1187787 महिलायें थी। परिक्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 19.60 प्रतिशत रही है जो कहीं ना कहीं गत वर्षों से निचले स्तर पर है।

सारणी संख्या – 1 : भीलवाड़ा जिंक लिमिटेड़ परिक्षेत्र : स्त्री जनसंख्या वितरण – वर्ष 2001–2011

भौगोलिक वर्गीकरण	श्रेणी	जनसंख्या	
		वर्ष 2001	वर्ष 2011
भीलवाड़ा परिक्षेत्र	ग्रामीण	790959	940491
	शहरी	196180	247296
	कुल	987139	1187787

स्रोत : जिला जनगणना प्रतिवदेन, 2001 एवं 2011

वर्ष 2001 में यहाँ अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या की 49.01 प्रतिशत महिलाऐं निवास करती थी, जिनमें 790959 ग्रामीण महिलाऐं तथा 196180 शहरी महिलाऐं शामिल हैं। वर्ष 2011 में अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 49.31 प्रतिशत दर्ज की गई है। जहाँ ग्रामीण महिला जनसंख्या 940491 तथा शहरी महिला जनसंख्या 247296 आंकी गई है।

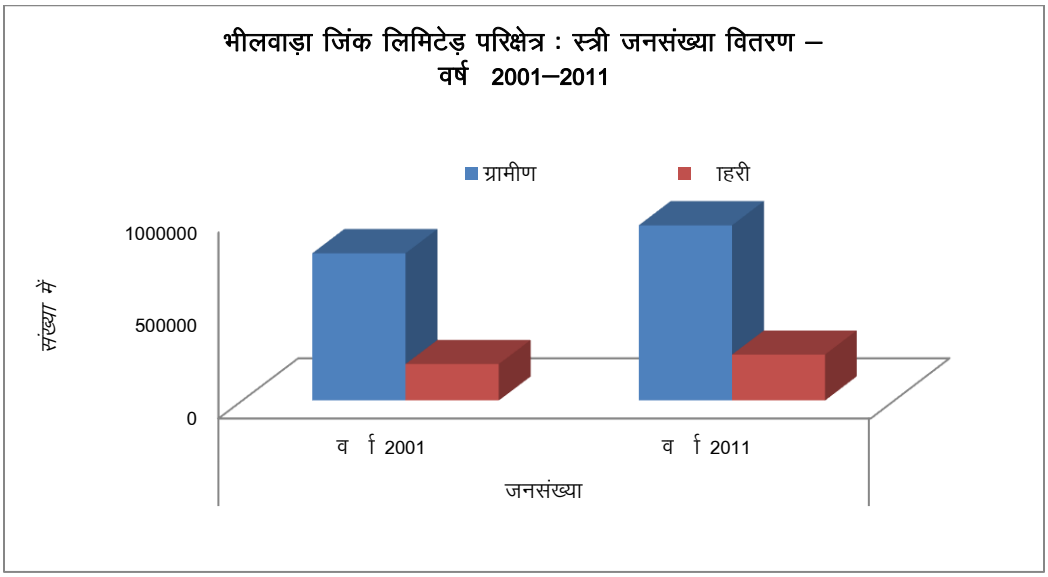

आरेख 1 : भीलवाड़ा जिंक लिमिटेड़ परिक्षेत्र : स्त्री जनसंख्या वितरण – वर्ष 2001–2011

भीलवाड़ा जिंक परिक्षेत्र के उपरोक्त जनसंख्या वितरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि एक दशक के अन्तराल पर यहाँ जनसंख्या के वितरण में परिवर्तन देखने को मिला है। महिला जनसंख्या वृद्धि ने अध्ययन क्षेत्र में भौगोलिक दशाओं, सामाजिक रूढ़ियों, स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार ने गहन रूप से प्रभावित किया है। साथ ही यहाँ संचालित सखी अभियान को भी महिलाओं की वृद्धि एवं संख्या ने विशेष रूप से प्रभावित किया है।

जनसंख्या घनत्व :

जनसंख्या वितरण का पूर्णतः विश्लेषण जनसंख्या घनत्व के माध्यम से किया जाता है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य "प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या से है।" प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते है संतुलित जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश की उन्नति और भावी विकास का अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता हैं। जनसंख्या घनत्व कई कारणों का परिणाम हैं जिसमें प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और कृषि आदि कारकों को गिनाया जा सकता हैं अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक असमानता के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 193 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जिसमें विगत 10 वर्षो में 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इसमें भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार अध्ययन क्षेत्र का कुल जनसंख्या घनत्व 230 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

सारणी संख्या – 2 : भीलवाड़ा परिक्षेत्र में महिला जनसंख्या घनत्व वितरणः वर्ष 2001 एवं 2011

भौगोलिक क्षेत्र	महिला जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
वर्ष 2001	987139	95
वर्ष 2011	1187787	114

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी कार्यालय 2001 एवं 2011

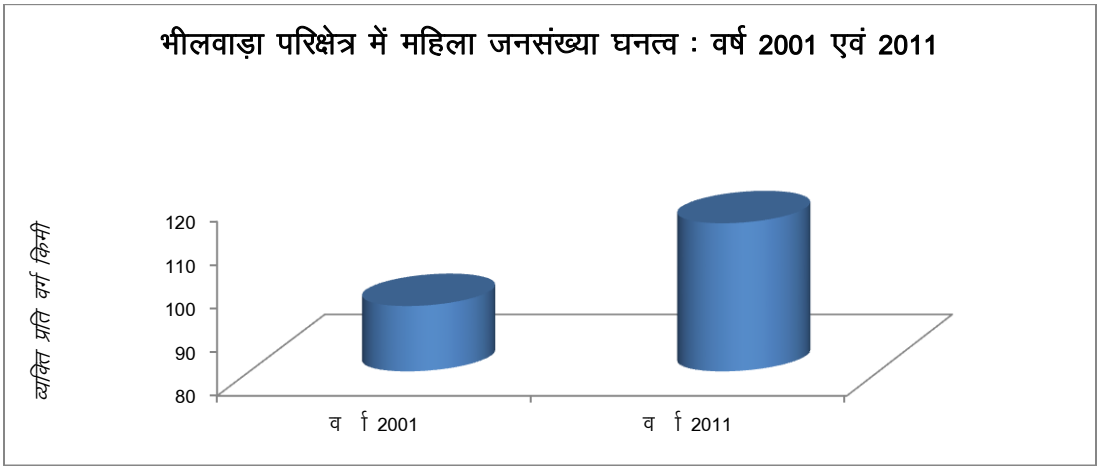

आरेख 2 : भीलवाड़ा परिक्षेत्र में महिला जनसंख्या घनत्व : वर्ष 2001 एवं 2011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भीलवाड़ा जिंक परिक्षेत्र में वर्ष 2001 में महिलाओं का जनसंख्या दबाव 95 महिलाऐं प्रति वर्ग किलोमीटर हो था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 114 महिलाऐं प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पिछले दशक में 19 महिलाऐं प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ी हैं।

इस प्रकार क्षेत्र में पिछले दशकों से लगातार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि अंकित की जा रही है। इसका कारण यह है कि यहाँ आधारभूत सुविधाओं की स्थिति अच्छी होने के कारण बाहरी जनसंख्या का प्रवास हुआ है। महिलाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाएं बनी है तथा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हुआ है जिसके कारण महिला जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

लाभार्थियों की जाति संरचना :

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जातीय संस्तरण निहित है। जातीय संरचना में प्रत्येक जातियॉ श्रेष्ठता एवं निम्नता के अन्तर्सम्बन्धों में बंधी हुई है। जन्म के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की समाज में एक निश्चित प्रस्थिति, व्यवसाय एवं भूमिका के सम्बन्ध को स्वीकार कर लिया गया है।

परम्परागत एवं आधुनिक संस्थाओं में कार्योंजित व्यक्ति में जाति प्रतिबद्धता के गुण पाये जाते हैं। जाति के आधार पर सम्बन्धों का झुकाव भारतीय समाज की सामान्य विशिष्टता है। सखी अभियान समूह में शामिल उद्यमिताऐं अपनी

आर्थिक स्थिति के सुधार में संलग्न होती है। जाति और व्यवसाय मूलतः एक होने से निम्न जातियों की उपस्थिति स्वाभाविक हो जाती हैं ग्रामीण उद्यमिता विकास में समूहों में निम्न आर्थिक महिलाओं से सम्बद्ध होने से जाति अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। इससे उनकी न केवल निम्न आर्थिक स्थिति का पता चलता है बल्कि समूह से एक जाति विशेष की सम्बद्धता का पता भी चलता है। प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरदात्रियों को जाति के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है।

सारणी सं 3 : जाति के आधार पर संलग्न महिलाऐं

जाति श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	32	6.4
अन्य पिछड़ा वर्ग	106	21.2
अनुसूचित जाति	218	43.6
अनुसूचित जनजाति	144	28.8
योग	500	100

स्त्रोतः शोद्यार्थी द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर

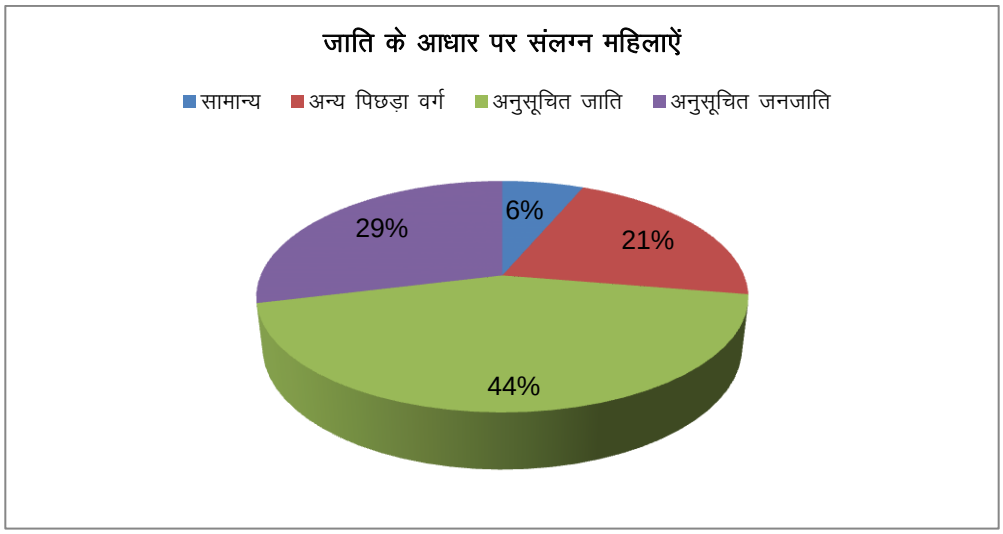

आरेख 3 : जाति के आधार पर संलग्न महिलाऐं

प्रस्तुत सारणी में तथ्यों के सांख्यिकीय परिकलन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 218 (43.6 प्रतिशत) महिलाऐं अनुसूचित जाति और 144 (28.8 प्रतिशत) महिलाऐं अनुसूचित जनजाति की है। इनके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से 106 महिलाऐं, जिनका सर्वेक्षण प्रतिशत 21.2 है तथा सामान्य वर्ग की महिलाऐं मात्र 6.4 प्रतिशत ही हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिलाऐं निम्न वर्गो की है अर्थात निम्न वर्गों की महिलाओं के उद्यमिता विकास में सखी अभियान की भूमिका सर्वाधिक है।

लाभार्थियों की आयु संरचना :

पारसन्स (1942), बैन्डिट (1939) और बासैण्ड (1953) के अनुसार आयु एक जैवकीय धारणा है जिसके द्वारा सम्पूर्ण जीवनकाल को विभिन्न चरणों या अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। जैवकीय दृष्टि से आयु व्यक्ति के शारीरिक विकास, परिपक्वता एवं सामाजिक अनुभव का प्रतीक है अर्थात् अनुभव की परिपक्वता में विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है अर्थात् (सामाजिक भूगोलशास्त्रीय अध्ययनों में आयु एक महत्वपूर्ण परिवर्त्य है।) जिसका अध्ययन आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि सखी स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत अधिकांश महिलायें घरेलू एवं पारिवरिक जिम्मेदारियों से युक्त होती है। साथ ही महिला उद्यमिता निर्माण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका प्रत्येक आयु की महिलाओं के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। अतः समूह मे संलग्न उद्यमिताओं की आयु क्या है, वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तुत तथ्यों को सारणी संख्या 4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी सं 4 : आयु के आधार पर संलग्न महिलाऐं

आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
20 से 25 वर्ष	7	1.4
25 से 30 वर्ष	50	10
30 से 35 वर्ष	81	16.2
35 से 40 वर्ष	105	21
40 से 45 वर्ष	103	20.6
45 से 50 वर्ष	75	15
50 से 55 वर्ष	35	7
55 से 60 वर्ष	40	8
60 वर्ष से अधिक	4	0.8
कुल	500	100

स्त्रोतः शोद्यार्थी द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर

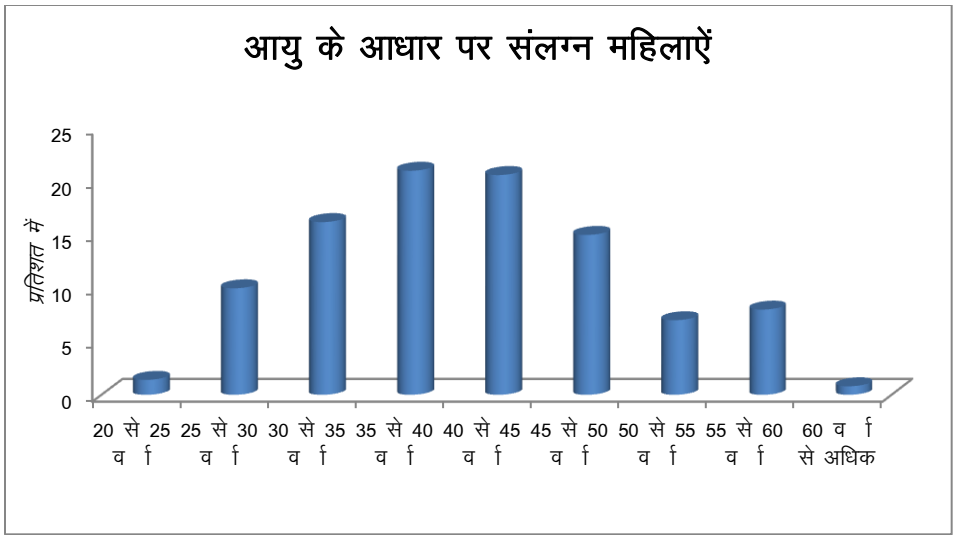

आरेख 4 : आयु के आधार पर संलग्न महिलाऐं

उपर्युक्त सारणी में आंकड़ों के परिकलन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन के अन्तर्गत न्यूनतम 20 वर्ष की महिलाऐं और कुछ महिलाऐं अधिकतम 60 वर्ष से अधिक तक की पायी गयी है। आयु समूह के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 105 (21 प्रतिशत) महिलाऐं 35 से 40 वर्ष के बीच की है और सबसे कम 04 (0.8 प्रतिशत) महिलाऐं 60 वर्ष से अधिक आयु की हैं। जबकि न्यूनतम 20 से 25 वर्ष आयु के बीच 07(1.4 प्रतिशत) महिलाऐं, 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच 50 (10 प्रतिशत) महिलाऐं और 30 से 35 वर्ष के आयु के बीच 81 (16.2 प्रतिशत) महिलाऐं है। इसी प्रकार 35 से 40 वर्ष के बीच 105 (21 प्रतिशत) महिलाऐँ हैं। 40 से 45 वर्ष के बीच 103 (20.6 प्रतिशत) महिलाऐं, 45 से 50 वर्ष के मध्य 75 (15 प्रतिशत) महिलाऐं पायी गयी हैं। 50 से 55 आयु वर्ष समूह के बीच 35 (7 प्रतिशत) महिलाऐं और 55 से 60 वर्ष आयु वर्ष समूह के बीच 40 (8 प्रतिशत) महिलाऐं हैं।

तथ्यतः स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाऐं 30 से 50 वर्ष आयु तक के बीच संकेद्रित जिसमें 35 से 40 आयु वर्ष की महिलाओं की बाहुल्यता है। जिसके आधार पर कहा जा सकता है। कि सखी स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से किशोर एवं प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्य कर रही है और प्रौढ़ महिलायें इस समूह से अधिक सम्बद्ध होती है।

लाभार्थियों की शैक्षिक स्थिति :

शिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता का निवारण करके व्यक्ति का आधुनिकता की ओर अग्रसर करता है। विवेकशीलता, गतिशीलता, सहिष्णुता इत्यादि आधुनिकता के लक्षण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होते हैं। मनोवृत्तियों के निर्धारण मूल्यों का अंतरीकरण और जीवन शैली के स्वरूपीकरण शिक्षा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।

अतः आधुनिक समाज में व्यक्ति की शैक्षणिक प्रस्थिति उसकी व्यवसायिक सहभागिता को सुनिश्चित करती है। व्यवसाय विशेष में संलग्न लोगों में निहित शैक्षणिक भिन्नता का प्रभाव उनकी कार्यकुशलता एवं कार्य सम्पादन की

स्थिती दिखायी पड़ता है। उद्यमिता विकास में स्वयं सहायता समूह जहॉ एक सहायक साधन के रूप में उपस्थित हुआ है। वहीं यह कार्य शिक्षित महिलाओं में और सरल हो जाता है। अतः शिक्षा के अध्ययन के आधार पर ज्ञान होता है कि समूह की भूमिका किस प्रकार महिलाओं के लिए है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों को सारणी संख्या 5 में प्रस्तुत किया गया है–

सारणी सं 5 : शैक्षणिक योग्यता के आधार पर संलग्न महिलाऐं

शैक्षणिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	8	1.6
मात्र साक्षर	16	3.2
प्राथमिक	50	10
उच्च प्राथमिक	103	20.6
माध्यमिक	135	27
उच्च माध्यमिक	125	25
स्नात्तक	43	8.6
परास्नात्तक	15	3
अन्य	5	1
कुल	500	100

स्त्रोतः शोद्यार्थी द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर

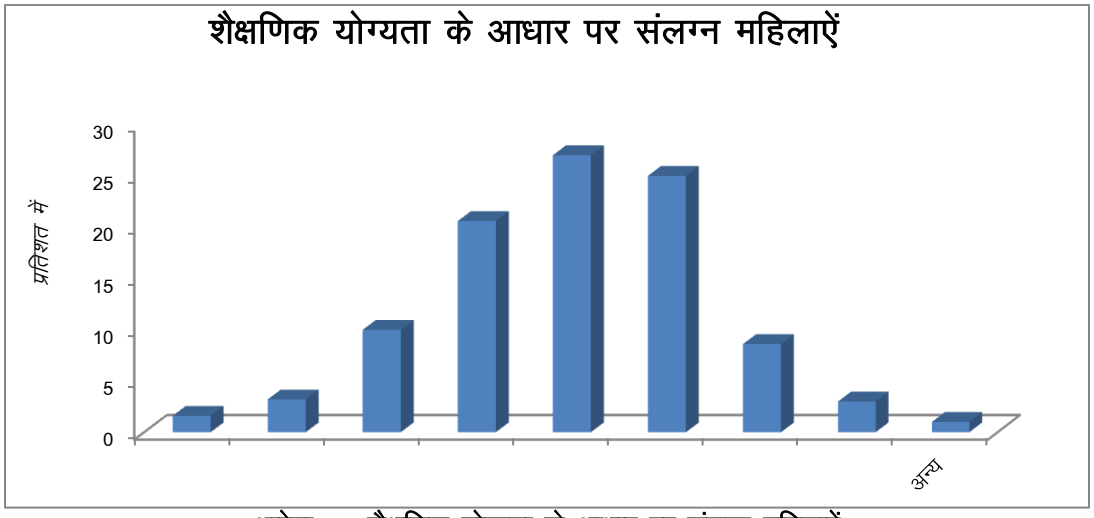

आरेख 5 : शैक्षणिक योग्यता के आधार पर संलग्न महिलाऐं

उपरोक्त सारणी में तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 8 (1.6 प्रतिशत) महिलाऐं निरक्षर और 50 (10 प्रतिशत) महिलाऐं प्राथमिक शिक्षित हैं। 135 (27 प्रतिशत) महिलाऐं माध्यमिक एवं 125 (25 प्रतिशत) महिलाऐं उच्च माध्यमिक स्तर शिक्षित पायी गयी और 43 (8.6 प्रतिशत) महिलाऐं स्नात्तक स्तर शिक्षित पायी गयी हैं। प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाऐं साक्षर हैं। शिक्षा प्राप्त महिलाओं में सबसे अधिक महिलाऐं उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षित है। अतः यह कहा जा सकता है कि समूह शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं दोनों के विकास में संलग्न होने के साथ निरक्षर महिलाओं के विकास में विशेष रूप से संलग्न है।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि स्त्रियाँ के परम्परागत स्थितियों के साथ ग्रामीण समाज के पिछड़ेपन के कारण भी ग्रामीण उद्यमी महिलाओं के समक्ष अनेक समस्याऐं उत्पन्न होती है। कुछ महिलाऐं किसी प्रकार की सहायता से जो अपनी आर्थिक गतिविधियों की ओर अग्रसर हो पाती है। उन्हें सुविधा और के अभाव में अपने विकास में पिछड़ना पड़ता है। अतः पिछड़ी हुई स्थितियों में सुविधाओं का अभाव, सूचना की कमी, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, स्वास्थ्यपूर्ण सुविधाओं की कमी में उघमी महिलाओ के समक्ष अपने आर्थिक सुधार में बाधा महसूस की जाती है।

***सहायक आचार्य**
भूगोल विभाग
राजकीय स्नात्तकोत्तर कला महाविद्यालय
दौसा (राज.)
****शोद्यार्थी**
भूगोल विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संदर्भ ग्रंथ :

1. जिला गजेटियर, जिला भीलवाड़ा (1998)।
2. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, जिला भीलवाड़ा (2010)।
3. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, जिला भीलवाड़ा (2013)।
4. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, जिला भीलवाड़ा (2014)।
5. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, जिला भीलवाड़ा (2015)।